विवरणिका

प्रोडक्ट का लोगो

अटल पेंशन योजना

जन धन से जन सुरक्षा

भारत सरकार द्वारा पेंशन की गारंटी

(पेंशन रहित समाज से पेंशन युक्त समाज की ओर भारत सरकार का एक ऐतिहासिक कदम)

अटल पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण

- भारत सरकार कामगार गरीबों की वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए चिंतित है और उसका ध्यान कामगारों को बुढ़ापे के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उन्हें सक्षम बनाने की ओर है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलवाना और उन्हें बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में अटल पेंशन योजना(एपीवाई) नामक एक नई योजना की घोषणा की है। एपीवाई का ध्यान असंगठित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों पर केंद्रित है।
- यह योजना एन पी एस संरचना के माध्यम से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी एफ आर डी ए) द्वारा संचालित है।

अटल पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं

- एपीवाई के अंतर्गत अंशदान करने वाले को प्रति माह कम से कम ₹1000 से ₹5000 तक पेंशन राशि प्राप्त होगी।
- भारत सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी दी गई है ।
- भारत सरकार द्वारा अंशदानकर्ता के अंशदान का 50% या प्रति वर्ष ₹1000 की राशि, दोनों में से जो कम हो, का भी अंशदान किया जाएगा। सरकार केवल उन व्यक्तियों के लिए अंशदान करेगी जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हों और जो आय कर दाता नहीं हों ।

विवरणिका

- भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र अंशदानकर्ता, जो 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच इस योजना में शामिल होते हैं, के लिए 5 वर्ष तक अंशदान किया जाएगा । लेकिन एपीवाई के अंतर्गत स्वावलंबन के लाभार्थियों समेत किसी भी अंशदानकर्ता के लिए सरकार 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अंशदान नहीं करेगी।

- सभी बैंक खाताधारक एपीवाई में शामिल हो सकते हैं

<u>पात्रता</u>

- एपीवाई 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र वाले सभी भारतीय नागरिक पर लागू होगी .

- आधार मुख्य केवाईसी होगा। योजना के सुविधापूर्ण परिचालन हेतु अंशदानकर्ताओं से आधार और मोबाइल नंबर प्राप्त किया जाएगा । पंजीकरण के समय इनके उपलब्ध नहीं होने पर आधार का विवरण बाद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

<u>चूक होने की स्थिति में प्रभार</u>

विलंब से भुगतान किए जाने पर बैंक अतिरिक्त राशि वसूल करेगा जो निम्नानुसार प्रति माह 1 रुपए से 10 रुपए तक होगी :

- प्रति माह 100 रुपए तक अंशदान के लिए 1 रुपए प्रति माह
- प्रति माह 101 रुपए से 500 रुपए तक अंशदान के लिए 2 रुपए प्रति माह
- प्रति माह 501 रुपए से 1000 रुपए तक अंशदान के लिए 5 रुपए प्रति माह
- प्रति माह 1001 रुपए से अधिक अंशदान के लिए 10 रुपए प्रति माह

ब्याज/ जुर्माने की निर्धारित राशि अंशदानकर्ता की पेंशन निधि का हिस्सा होगी ।

अंशदानकर्ता के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं:

अंशदान राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होगी :

- 6 माह के बाद खाता फ्रीज हो जाएगा .
- 12 माह के बाद खाता निष्क्रिय हो जाएगा
- 24 माह के बाद खाता बंद हो जाएगा

अंशदानकर्ता यह सुनिश्चित करे कि बैंक खाते में इतनी राशि जमा हो कि अंशदान राशि ऑटो डेबिट हो सके ।

<u>एक्जिट (योजना से बाहर निकलना):</u>

60 वर्ष की उम्र होने :

पेंशन निधि के 100% वार्षिकीकृत होने के पश्चात 60 वर्ष की उम्र होने पर एपीवाई से एक्जिट किया जा सकता है। एक्जिट करने पर अंशदानकर्ता को पेंशन प्राप्त होने लगेगा।

किसी भी कारण से अंशदानकर्ता की मृत्यु होने पर :

अंशदानकर्ता की मृत्यु होने पर उसके जीवन साथी को पेंशन प्राप्त होगा और दोनों(अंशदानकर्ता और जीवनसाथी) की मृत्यु होने पर उसके नामिती को पेंशन की कुल राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ।

60 वर्ष की उम्र से पहले एक्जिट करना :

60 वर्ष की उम्र से पहले एक्जिट की अनुमति नहीं दी जाती है तथापि केवल असाधारण परिस्थितियों, जैसे- लाभार्थी की मृत्यु या प्राणलेवा बीमारी में इसकी अनुमति दी जा सकती है ।

Indicative Monthly Contribution Chart

Age of Entry	Monthly pension of Rs 1000.	Monthly pension of Rs2000	Monthly pension of Rs3000	Monthly pension of Rs4000	Monthly pension of Rs5000.
18	42	84	126	168	210
20	50	100	150	198	248
25	76	151	226	301	376
30	116	231	347	462	577
35	181	362	543	722	902
40	291	582	873	1164	1454

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित
प्रथम तल, आईसीएडीआर भवन, प्लॉट सं.6 वसंत कुंज
सस्थानिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली - 110 070

विवरणिका